भारत सरकार
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, 9वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर,
ए.सी गार्ड्स, हैदराबाद-500004

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Pr. Chief Commissioner of Income Tax
9th Floor, 'C' Block, IT Towers,
AC Guards, Hyderabad-500004

फा.सं. प्रमुआआ/हैद/राभा/15/हिंदी दिवस/2022-23 दिनांक : 19.07.2022

सेवा में,

1. मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद/ विशाखपट्टणम/ विजयवाड़ा
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे.), हैदराबाद
3. सभी प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद
4. सभी आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद

विषय:- हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2022 में प्रकाशित होने वाली स्मारिका (Souvenir) के लिए लेखों का आमंत्रण - के संबंध में।

संदर्भ:- 1. बोर्ड से प्राप्त पत्र संख्या 1246/रा.भा.प्र./राजस्व एवं राजभाषा पत्र/परिपत्र/1240-1382 दिनांक 13.07.2022

2. राजस्व विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या ई-30018/1/2022-हिंदी-IV-डीओआर दिनांक 11.07.2022 तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के फा.सं.11014/16/2022-राभा(पत्रिका) दिनांक 24.06.2022.

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2022 को सूरत (गुजरात) में आयोजित होने वाले द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए एक स्मारिका (Souvenir) का प्रकाशन किया जा रहा है । जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी के संवर्धन की दिशा में लिखे गये लेख का आमंत्रित किये गये हैं । **स्मारिका के लिए आमंत्रित लेखों का विषय निम्नानुसार है :-**

1. **राजभाषा संबंधी संवैधानिक दायित्व**
2. **स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका**
3. **देश के संस्कृतिक विस्तार में हिंदी की भूमिका**
4. **आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हिंदी का योगदान**
5. **हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव**
6. **हिंदी के विकास में सम्मेलन स्थल (सूरत) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि ।**

स्मारिका के लिए लेखों के विषय और शब्द सीमा आदि की जानकारी इस पत्र के साथ संलग्नित परिपत्र में विस्तृत रूप में दी गई है । इस संबंध में अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में परिचालित करवायें । **इच्छुक अधिकारी/ कर्मचारी इस कार्यालय को सूचित करते हुए अपना लेख (फोटो सहित) दिनांक 25.07.2022 तक मेल आईडी patrika-ol@nic.in पर सीधे राजभाषा विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ।**

भवदीया,
19/07/2022
(ममतारानी साहु)
उप निदेशक (राजभाषा)
कार्या. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय/MINISTRY OF FINANCE
आयकर विभाग/Income Tax Department
15809
14 JUL 2022
1678
O/o. Pr. Chief Commissioner of Income Tax
Andhra Pradesh & Telangana,
Floor, 'C' Block, Income Tax Towers
A.C. Guards, Hyderabad 500 004

सत्यमेव जयते

आयकर निदेशालय (परीक्षा एवं राजभाषा)

Directorate of Income Tax (Exam & Official Language)

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग /Ministry of Finance Department of Revenue

पांचवीं मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस/ 5th Floor, Mayur Bhawan, Connaught Circus

नई दिल्ली /New Delhi – 110 001

फा.सं. 1246/रा.भा.प्र./ राजस्व एवं राजभाषा पत्र/परिपत्र/2022-23/ 1240-1382 दिनांक - 13.07.2022

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त और
प्रधान आयकर महानिदेशक ।

विषय - हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2022 में प्रकाशित होने वाली स्मारिका (Souvenir) के लिए लेखों का आमंत्रण -

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की निदेशक (राजभाषा) के दिनांक 11 जुलाई, 2022 के परिपत्र, फा.सं. ई-30018/1/2022- हिंदी-IV डीओआर का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न) परिपत्र के साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र फा.सं. 11014/16/2022 रा.भा. (पत्रिका) दिनांक 24 जून, 2022 तथा आ.शा. पत्र सं. 11034/12/2022-रा.भा.(नीति), दिनांक 24 जून, 2022 की प्रतियां भी प्राप्त हुई हैं ।

परिपत्र में सूचित किया गया है कि दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2022 को सूरत (गुजरात) में आयोजित होने वाले द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए एक स्मारिका (Souvenir) का प्रकाशन किया जाना है । स्मारिका के लिए राजभाषा हिंदी के संवर्धन की दिशा में लिखे गए लेख आमंत्रित किए गए हैं । इस संबंध में स्मारिका के लिए लेखों के विषय और शब्द सीमा आदि की जानकारी परिपत्र में विस्तृत रूप से दी गई है।

अतः इस संबंध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि संलग्न परिपत्र को सभी अनुलग्नकों सहित अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में परिचालित करवाने तथा यह निदेश देने की कृपा करें कि इच्छुक अधिकारी / कर्मचारी अपना लेख (फोटो सहित) दिनांक 25.07.2022 सायं 05.00 तक मेल आईडी patrika-ol@nic.in पर सीधे भिजवाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ. एन.एस. सिरोही)
उप निदेशक (रा.भा.) (मुख्या. कार्या.)

संलग्न - यथोपरि ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. निदेशक (राजभाषा), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 11 जुलाई, 2022 के परिपत्र के संदर्भ में ।
2. विभाग के सभी उप निदेशक (राजभाषा) एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) ।

उप निदेशक (रा.भा.) (मुख्या. कार्या.)

हिंदी अनुभाग
कृपया सभी कार्यालयों में परिचालित करवाएं।
15/07/2022

मंजुला सक्सेना
निदेशक (पत्रिका)
दूरभाष: 23438018

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NDCC-II BUILDING
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-11000

फा.सं. 11014/16/2022-रा.भा.(पत्रिका)

दिनांक:24जून,2022

आदरणीय महोदय/महोदया

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2022 को सूरत(गुजरात) में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए एक **स्मारिका (Souvenir)** प्रकाशित की जानी है, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी के संवर्धन की दिशा में लिखे गए लेख प्रकाशित किए जाएंगे।

स्मारिका के लिए आमंत्रित लेखों का विषय राजभाषा संबंधी संवैधानिक दायित्व, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका, देश के सांस्कृतिक विस्तार में हिंदी की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हिंदी का योगदान, हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव, हिंदी के विकास में सम्मेलन स्थल (सूरत) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि जैसे अन्य विषय शामिल किए जा सकते हैं।

लेख मंगल फॉन्ट में टाइप किए हुए, व्याकरणिक दृष्टि से सही तथा अधिकतम 1000 शब्दों तक हो सकते हैं। शोध से जुड़े लेखों में शब्दों की सीमा 3000 शब्द तक हो सकती है। लेखों का चयन विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित लेखों के लेखकों को सचिव, राजभाषा द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

कृपया लेख (फोटो सहित) दिनांक 25/07/2022 सांय 5 बजे तक मेल आई डी patrika-ol@nic.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

शुभकामनाओं सहित

(मंजुला सक्सेना)

1. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के सचिव तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ सरकारी क्षेत्रों के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के शीर्षस्थ अधिकारी-ई-मेल द्वारा।
2. राजभाषा विभाग की वेबसाइट।